कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद हरिद्वार।

ईमेल–cfohdr.ukfs@gmail.com फोन नं0–01334–265700

पत्रांकः न–6/सीएफओ–एच/2026 दिनांकः मई 23, 2026।

स्वामी/प्रबन्धक/प्रधानाचार्य
M/S HOLY ANGEL SCHOOL
Gaindikhata,
Distt.- Haridwar

विषयः अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के **Annual clearance** के सम्बन्ध में।

कृपया आपके आवदेन यूनिक नम्बरः–**75098477**, दिनांकः **14.05.2026** जो कि **Uttarakhand Fire and Emergency Services** के वेब पेज पर प्राप्त हुआ है, के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी मायापुर, हरिद्वार द्वारा किया गया, अग्निशमन अधिकारी मायापुर, हरिद्वार की निरीक्षण आख्या दिनांकः **18.05.2026** के अनुसार निरीक्षण के दौरान अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था ***फायर एक्सटिंग्यूशर, होजरील, टेरेस टैंक, भूमिगत वाटर टैंक, मेन इलैक्ट्रिक पम्प इत्यादि*** का कार्यशील दशा में होना अंकित किया है।

उपरोक्त भवन/संस्थान एक ***स्कूल भवन*** है। भवन में कुल **G+02** तल है। जिसके प्लाट का क्षेत्रफल ***8432 वर्ग मी0*** है तथा उक्त भवन का क्षेत्रफल (**Covered Area**) ***1846 वर्ग मी0*** है। भवन/संस्थान की ऊँचाई **10 मी0** है। भवन/संस्थान में **बेसमेन्ट नहीं** है।

अतः उत्तराखण्ड शासन, गृह अनुभाग–03 की अधिसूचना संख्या–342/XX-3/2021-2(39)/2006 देहरादून दिनांकः 29 नवम्बर, 2021 के अनुपालन में **दिनांकः 23 मई 2026 से 22 मई 2029 (03 वर्ष) तक** के लिये प्राथमिक अग्नि उपकरणों सम्बन्धी कार्यशीलता प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाता है कि निम्न शर्तो का पालन किया जाये।

1. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाये।
2. आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण(Evacuation) प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक होगा।
3. सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती है, अतः प्रबन्धन को अग्निनिरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
4. भवन/संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वेंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी से कराया जाए।
5. **इस अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए नहीं किया जा सकता, यह मात्र फायर सेफ्टी हेतु निर्गत किया जा रहा है अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग में लाये जाने प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जाये।**
6. **संस्थान की अग्निशमन व्यवस्था के कार्यशील एवं एन.बी.सी. 2016 के मानकानुसार अग्निशमन व्यवस्था पूर्ण होने का स्व–घोषण प्रमाण पत्र/Audit Report प्रति छः माह में प्रस्तुत/अपलोड करना अनिवार्य है।**
7. यदि उपरोक्त अग्निसुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र से सम्बन्धित भवन या अधिभोग के आकार, प्रकृति, प्रयोजन या स्थान के किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है, तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य होगा।
8. **संस्थान में फायर एण्ड लाईफ सेफ्टी के दृष्टिगत फायर पम्प हाऊस की इलैक्ट्रिक सप्लाई के लिए सेपरेट फिडर का प्रयोग करना अनिवार्य है यदि अग्निकाण्ड की घटना घटित होने पर पम्प हाऊस को इलैक्ट्रिक की सप्लाई नहीं मिलती है तो सम्पूर्ण दायित्व स्वामी/प्रबन्धक का होगा।**

क्रमशः–2–

9. संस्थान में प्रत्येक 03 माह में मॉक ड्रिल करायी जाये जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जानी आवश्यक है।
10. प्रत्येक 03 माह में संस्थान में उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्था के मेन्टीनेंस की स्थिति से इस कार्यालय को अवगत कराना आवश्यक है।
11. संस्थान के सेट बैक में स्थाई व अस्थाई निमार्ण कर अग्निशमन एवं रेस्क्यू कार्य बाधित किये जाने एवं सेफ्टी मानकों में परिवर्तन किये जाने पर प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
12. संस्थान में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था निर्धारित मानकों/एन.बी.सी 2016 के भाग 04 की गाईड लाईन के अनुसार सदैव अद्यतन (Update) स्थिति में रखा जाना जीव रक्षा एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा के हित में आवश्यक है।
13. आकस्मिक निरीक्षण के दौरान सुझाव के अनुरूप व्यवस्था नहीं पायी जाती है, यदि किसी प्रकार की लापरवाही/तकनीकी खराबी के कारण अग्नि दुघर्टना के समय अग्निशमन उपकरण कार्य नहीं करते हैं तो पूर्ण उत्तरदायित्व स्वामी/प्रबन्धक का होगा अन्यथा यह प्रदत्त प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

(वी0बी0 यादव)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
हरिद्वार।

प्रतिलिपिः अग्निशमन अधिकारी मायापुर, हरिद्वार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।